



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265362
CG-DL-E-12082025-265362

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3563]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 11, 2025/श्रावण 20, 1947

No. 3563]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 11, 2025/SHRAVANA 20, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2025

का.आ. 3655(अ).—केंद्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड को आबंटित कोल ब्लॉक अर्थात् 5 एमटीपीए (ओपन कास्ट) के सुलियारी कोयला ब्लॉक जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश में विकसित किया जा रहा है, को भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.2063(अ), तारीख 21 जून, 1988 के, उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रम संख्यांक 1 से 3 में विनिर्दिष्ट कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन के संबंध में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू होने में छूट प्रदान करती है, अर्थात्-

- उपर्युक्त उल्लिखित कार्यों में लगे कर्मकारों के हित संरक्षित किए जाएंगे;
- ऐसे कर्मकारों को, कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर मजदूरी और अन्य फायदे संदत् किए जाएंगे;
- केंद्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड को स्थापना के निरीक्षण का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके और जांच की जा सके कि क्या आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड अर्थात् 5 एम.टी.पी.ए. (ओपन

कास्ट) सुलियारी कोयला ब्लॉक, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश में विकसित किया जा रहा है, में ऐसे कर्मकारों को ऐसी मजदूरी और फायदे प्रदान किए जा रहे हैं;

- (iv) आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि जब कभी संविदा का परिवर्तन होता है, तो विद्यमान ऐसे संविदा कर्मकार को, जो कार्यरत हैं, कर्तव्यों के समाधानप्रद अनुपालन के अधीन अंतर्गामी ठेकेदार द्वारा नियोजन में अधिमान दिया जा सकेगा;
- (v) उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 2063 (अ), तारीख 21 जून, 1988 आनुषंगिक की अनुसूची के क्रम संख्यांक 1 से 3 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खनन संकर्म पर प्रासंगिक या आनुषंगिक कार्य में कार्यरत कर्मकार, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अवधारित और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार मजदूरी प्राप्त करेंगे;
- (vi) ठेकेदार के साथ साथ, प्रधान नियोजक भी उक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति की मजदूरी का संदाय सुनिश्चित करेगा, जो प्रत्येक छह मास में बढ़ती है और खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अनुसार अन्य फायदे भी सुनिश्चित करेगा;
- (vii) ठेका कर्मकार, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के उपबंधों के अधीन आएंगे; और
- (viii) ठेका कर्मकारों को खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अनुसार मजदूरी के साथ बोनस संदत किया जाएगा और छुट्टी दी जाएगी।

[फा. सं. एस-16012/01/2022-एल.डब्ल्यू(बी)]

आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2025

S.O. 3655(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby exempts the Coal Block allotted to Andhra Pradesh Mineral Development Corporation Limited namely Suliyari Coal Block of 5 MTPA (Opencast) being developed in District Singrauli, Madhya Pradesh from the applicability of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O.2063(E), dated the 21st June, 1988, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), in respect of employment of contract labour in the works specified in the Schedule to the said notification against serial numbers 1 to 3, for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to the following conditions, namely: -

- (i) The interest of the workmen engaged in the above mentioned works shall be protected;
- (ii) Such workmen shall be paid wages and other benefits as per the recommendations of the High-Powered Committee appointed by the Coal India Limited, Ministry of Coal, Government of India and at the rates notified by the Coal India Limited from time to time;
- (iii) The Central Advisory Contract Labour Board shall have the right to inspect the establishment to ensure and check whether such wages and benefits are given to such workers in Andhra Pradesh Mineral Development Corporation Limited namely the Suliyari Coal Block of 5 MTPA (Opencast) being developed in District Singrauli, Madhya Pradesh;
- (iv) The management of Andhra Pradesh Mineral Development Corporation Limited shall ensure that whenever there is a change of contract, existing contract workmen who are working may be given preference in employment by the incoming contractor, subject to the satisfactory performance of duties;
- (v) The workmen working in jobs ancillary or incidental to coal mining works specified against serial numbers 1 to 3 of the Schedule to the said notification number S.O. 2063(E) dated the 21st June, 1988 shall get wages as determined by the High-Powered Committee appointed by the Coal India Limited, Ministry of Coal, Government of India and at the rates notified by the Coal India Limited from time to time;

- (vi) The contractor, as well as the principal employer, shall ensure payment of the said High-Powered Committee wages, which increases every six months and also other benefits as per the provisions of the Mines Act, 1952 (35 of 1952);
- (vii) The contract workers shall be covered under the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972); and
- (viii) The contract workers shall be paid bonus and leave with wages as per the provisions of the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

[F. No. S-16012/01/2022-LW(B)]
ASHUTOSH A.T PEDNEKAR, Jt. Secy.